E-mailed on

(211)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान, जयपुर

कमांक: एफ.1(56)एफ.एम.डी.एस.एस./अप्रमुवसं/एम.एण्डई./2023/ 530 दिनांक :- 08-08-2023

समस्त वन संरक्षक
(प्रादेशिक एवं वन्यजीव)

विषयः– अधीनस्थ वनमण्डलों में समस्त विकास कार्यों के मूल्यांकन किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के मूल्यांकन एवं प्रबोधन अनुभाग द्वारा विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत करवाये गये वृक्षारोपण कार्यों का मूल्यांकन अधीनस्थ संभागीय आयोजना एवं प्रबोधन इकाईयों के माध्यम से FMDSS वृक्षारोपण मॉडयूल पर उपलब्ध कार्यों की सूची से चयनित कर किया जाता है।

उपरोक्त वृक्षारोपण एवं विभागीय कार्यों के मूल्यांकन के अतिरिक्त भी केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं सहित बाह्य सहायता प्राप्त वनमण्डलों द्वारा करवाये गये विकास कार्यों, वन्यजीव से संबंधित ए.पी.ओ के कार्य, सरिस्का एवं रणथम्भौर बाघ परियोजनाओं एवं अन्य वन्यजीव वनमण्डलों द्वारा करवाए गए समस्त विकास कार्यों, वन्यजीव सफारी, सडक किनारे वृक्षारोपण कार्य, नर्सरी मूल्यांकन, लवकुश वाटिका, बायोलॉजिकल पार्क, भूसंरक्षण संबंधित समस्त कार्य/संरचना, फायर लाईन निर्माण, चिडियाघर के कार्यों, वन्यजीव मंडलों के रिलोकेशन तथा भू–संरक्षण एवं रिवर वैली के वनमण्डलों से संबंधित समस्त विकास कार्यों का मूल्यांकन भी किया जाना अपेक्षित है।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांक 1664 दिनांक 2.7.2001 के कम मे यह भी उल्लेखनीय है कि कार्य स्थलों पर बनाई गई मृदा की संरचनाओं के आयतन में इनके निर्माण के कुछ समय (विशेषकर एक वर्षा ऋतु के बाद) वर्षा/हवा/आंधी आदि प्राकृतिक कारणों से कमी होना स्वाभाविक है। अतः उक्त परिपत्र अनुसार मृदा संरचनाओं का भौतिक सत्यापन, कार्य संपादन के तुरंत बाद, विशेषतः वर्षा से पहले ही मृदा संरचनाओं संबंधी कार्यों का शत–प्रतिशत सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्तानुसार वृत स्तरीय मृदा संरचनाओं के सत्यापन के सारांश अपने मूल्यांकन प्रतिवेदन में समाविष्ट कर, इनकी वर्तमान स्थिति, उपयोगिता एवं प्रभाविता के संबंध में अपनी टिप्पणी सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

प्रादेशिक तथा भू–संरक्षण वनमण्डलों से संबंधित विकास कार्यों का समवर्ती मूल्यांकन वन संरक्षक (प्रादेशिक) एवं वन्यजीव वनमण्डलों से संबंधित विकास कार्यों का समवर्ती मूल्यांकन वन संरक्षक (वन्यजीव) द्वारा किया जाकर रिपोर्ट अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन को प्रेषित की जावेगी।

समवर्ती मूल्यांकन की वर्तमान प्रक्रिया अनुसार कार्यों का समवर्ती मूल्यांकन किये जाने हेतु वनमण्डलों में करवाये गये समस्त कार्यों की सूची (FMDSS वृक्षारोपण मॉड्यूल पर अपलोड किये गए कार्यों के अतिरिक्त) वनमंडलों से प्राप्त कर इस कार्यालय में एक माह के भीतर प्रेषित करावें तथा प्राप्त सूची अनुसार समस्त विकास कार्यों की मूल्यांकन रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्रों में इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

(मुनीश कुमार गर्ग)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.1(56)एफ.एम.डी.एस.एस./अप्रमुवसं/एम.एण्ड ई./2023/ दिनांक :-
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन राजस्थान, जयपुर।
4. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू–संरक्षण, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक/वन्यजीव/भू–संरक्षण)।

(मुनीश कुमार गर्ग)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)
राजस्थान, जयपुर।